सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी, डॉ0 राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.

अपील संख्या 146/17 **निर्णय दिनांकः**

1. मुखराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी जागौर हाल चक 1 डीएल तहसील छत्तरगढ़ जिला बीकानेर।

अपीलांट्

—बनाम—

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 08—03—2002

सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः—

1. श्री राजेश बैद, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 08–03–2002 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व से ही अन्य को आवंटनशुदा रकबा भूमिहीन में आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् को वर्ष 21–01–1984 को 17.06 बीघा भूमि का पात्र मानते हुए आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 24–02–1984 को चक 2 एडी में 8 बीघा कमाण्ड व 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(225)उप/97/पार्ट दिनांक 13–01–2000 को उपरोक्त भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अनकमाण्ड होने के कारण सचिव एवं उपायुक्त उपनिवेशन विभाग द्वारा विनिमय का पात्र मानते हुए दिनांक 08–03–2002 को चक 5 डीएलएम(ए) के मुरब्बा नम्बर 12/23 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 25 तादादी 24.10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। अदालत मातहत द्वारा

उक्त आवंटन की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त भूमि सबेखॉ पुत्र गामू खॉ जाति मुसलमान साकिन गोगलियों की ढाणी सतासर के नाम व कब्जे में होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है।

अदालत मातहत को पूर्व में ही सुनिश्चित करना चाहिए था कि आराजी जैर आवंटन से पूर्व निर्विवाद रूप से उपलब्ध थी अथवा नहीं? अपीलांट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष समय समय पर उपस्थित होता रहा है तथा उक्त आराजी के एवज में अन्य आराजी के आवंटन हेतु कथन किया जाता रहा है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है। राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही आवंटनशुदा भूमि है इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है।

अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–03–2002 के विरूद्व अपील दिनांक 27–04–17 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटनशुदा भूमि पूर्व में अन्य को आवंटित है। अतः अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. **(1)** जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 08–03–2002 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 27–04–2017 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा सामान्य/भूमिहीन के तौर पर आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर सर्वप्रथम चक 2 एडी में 8 बीघा कमाण्ड व 16 बीघा अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 3(225)उप/97/पार्ट दिनांक 13–01–2000 को उपरोक्त भूमि के 50 प्रतिशत से अधिक भूमि अनकमाण्ड होने के कारण सचिव एवं उपायुक्तउपनिवेशनविभाग द्वारा विनिमय का पात्र मानते हुए दिनांक 08–03–2002 को चक 5 डीएलएम(ए) के मुरब्बा नम्बर 12/23 के किला नम्बर 1 ता 4, 7 ता 25 तादादी 24.10 बीघा भूमि का आवंटन किया गया।

अदालत मातहत द्वारा उक्त आवंटन की कोई सूचना अपीलांट को नहीं दी गई। उक्त भूमि सबेखॉ पुत्र गामू खॉ जाति मुसलमान साकिन गोगलियों की ढाणी सतासर के नाम व कब्जे में होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है।

(3) अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के आधार पर चक 5 डीएलएम के मुरब्बा नम्बर 92 / 23 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि पूर्व में ही सबेखॉ पुत्र गामू खॉ जाति मुसलमान साकिन गोगलियों की ढाणी सतासर आवंटनशुदा होने के कारण अपीलांट का आवंटन क्षेत्राधिकार से बाहर व उचित भूमि का नहीं किया जाना साबित है।

(4) जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट को सामान्य की पात्रता मानते हुए आराजी जैर का आवंटन किया गया। अपीलांट को आवंटित भूमि में से एक हिस्सा पूर्व में ही अन्य को आवंटनशुदा होकर मौके पर कब्जा है। जबकि अपीलांट को आवंटन सलाहकार समिति व अध्यक्ष आवंटन समिति की राय से बाद जॉच ही दिनांक 08–02–2002 को आवंटन किया गया था।

(5) अपीलांट को पूर्व में आवंटनशुदा भूमि का आवंटन किया गया है। प्रकरण में आवंटन अधिकारी की चूक या कर्मचारियों की लापरवाही का खामियाजा आवंटी को नहीं दिया जा सकता। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन से पूर्व यह भली–भांति सुनिश्चित करना चाहिए था कि क्या आराजी जैर निर्विवाद रूप से विवादरहित व शुद्व रूप से आवंटन हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य की जॉच किये बिना अपीलांट को आराजी जैर का आवंटन किया गया है।

(6) अपीलांट का आवंटन आज दिनांक तक निरस्त नहीं किया गया। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। चूंकि अपीलांट को पूर्व में वन विभाग को आवंटनशुदा भूमि का आवंटन कर दिया गया। इसलिए अपीलांट पात्रता अनुसार अन्यत्र भूमि प्राप्त करने अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर व प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए पात्रता अनुसार निर्विवाद व शुद्व रूप से भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 19.12.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राकेश कुमार शर्मा)

राजस्व अपील प्राधिकारी

बीकानेर